न्यायालयः न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, हिण्डौनसिटी।
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–2, हिण्डौनसिटी)

पीठासीन अधिकारीः **सुमरथ लाल मीना,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

मोटरयान दुर्घटना दावा सॅख्याः 23/23

विवेक कुमार पुत्र रघुराज उम्र करीब 19 साल निवासी बेरखेडा तहसील सूरौठ जिला करौली। ---प्रार्थी/आहत

बनाम्

1. रामदेवसिंह पुत्र साहबसिंह निवासी बेरखेडा तहसील सूरौठ जिला करौली।

---(वाहन चालक व मालिक ट्रैक्टर नं–आरजे 25 आरए 2812)

2. बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कं.लि. डिवीजनल ऑफिस 4 अथरोही फोर्ट गोपालवाडी अजमेर रोड जयपुर। --(बीमा कंपनी ट्रैक्टर नं–आरजे 25 आरए 2812)

---अप्रार्थीगण

याचिका अंतर्गत धारा 166 व 140 मोटरयान अधिनिमय, 1988

उपस्थितः
अधिवक्ता श्री प्यारेलाल पोहिया, प्रार्थी/आहत की ओर से।
अधिवक्ता श्री अनिल शर्मा, अप्रार्थी सं–1 की ओर से।
अधिवक्ता श्री पीयूष शर्मा, अप्रार्थी सं–2 की ओर से।

निर्णय दिनॉकः 05.06.2026

01. उक्त याचिकाकर्ता की ओर से यह याचिका दिनांक 27.01.23 को उक्त उल्लेखित प्रावधानों के तहत उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध सार रूप से इस आशय की क्षतिपूर्ति याचिका प्रस्तुत की है कि ''दिनांक 17.10.16 को समय करीब 10 बजे सुबह ट्रैक्टर नंबर आरजे 25 आरए 2812 का चालक अप्रार्थी सं–1 आहत की बाजरे की बालों को कूटने के लिए खेत ग्राम बेरखेडा में गया था और बाजरे की बालों को थ्रेसर मशीन में डाल दिया था। आहत वहां पर खडा था और उसका हाथ थ्रेसर मशीन में डाली हुई बाजरे की बालों पर रखा था तो ट्रैक्टर चालक ने बिना सूचना के लापरवाहीपूर्वक ट्रैक्टर को चला दिया, जिसके परिणामस्वरूप आहत का हाथ थ्रेसर मशीन में चला गया और कुचलकर कट गया। वहां पर आहत की पत्नी, करणसिंह, अतरसिंह आदि ने जान बचाई और हिण्डौन अस्पताल लेकर गए। जहां से जयपुर एसएमएस रैफर कर दिया। दौराने इलाज विवेक के हाथ का ऑपरेशन कर कई रोड डाली। घटना की रिपोर्ट 114/18

आहत के पिता ने दर्ज कराई और देरी का कारण रिपोर्ट दर्ज कराने तक इलाजरत होना बताया है। बाद अनुसंधान अप्रार्थी सं-1 के विरूद्ध धारा 287, 337, 338 भा.दं.सं. में आरोप पत्र पेश किया गया। दुर्घटना के संबंध में प्रार्थी-आहत द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 5,20,000/-रूपए बाबत हस्तगत क्षतिपूर्ति याचिका पेश की है, जो दर्ज रजिस्टर की गई।

02. अप्रार्थी सं-1 ने अपनी जवाब याचिका में प्रार्थी की क्षतिपूर्ति याचिका में वर्णित दुर्घटना को पूर्णतः अस्वीकार करते हुए आरोपित वाहन से कोई दुर्घटना नहीं होने और रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने, जिसका कोई उचित कारण नहीं दिए जाने तथा एफआईआर झूंठा क्लेम लेने की गरज से पेश करना बताते हुए क्लेम याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

03. अप्रार्थी सं-2 की ओर से जवाब याचिका पेश कर अभिवचन किए गए है कि आहत की ओर से याचिका छह माह की अवधि के बाद पेश की गई है, जो पोषणीय नहीं है। एफआईआर करीब 06 माह 8 दिन बाद जरिए इस्तगासा दर्ज कराई गई है, जिसमें वाहन का नंबर अंकित नहीं किया गया है। उक्त विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जिससे इस संभावना को बल मिलता है कि आहत के चोटें किस अन्य कारण से आई है। तथाकथित थ्रेसर का कोई बीमा नहीं किया गया है। खेत में बाजरे की फसल को कूटने हेतु वाहन का प्रयोग वाणिज्यिक है। आहत द्वारा बीमित वाहन को झूंठा लिप्त करते हुए महज झूंठा क्लेम लेने की गरज से संलिप्त किया गया है। अतः क्लेम याचिका खारिज की जावे।

04. उभय पक्ष के अभिकथनों के आधार पर निम्न विवाद्यक विरचित किये गये:-

1-आया दिनांक 17.10.16 को सुबह करीब 10 बजे थाना सूरौठ के क्षेत्राधिकार में वाहन ट्रैक्टर नंबर आरजे 25 आरए 2812 मय थ्रेसर मशीन के चालक अप्रार्थी सं-1 रामदेव द्वारा ट्रैक्टर को तेजी, गफलत व लापरवाहीपूर्ण तरीके से चलाया गया जिससे थ्रेसर मशीन से आहत विवेक कुमार का हाथ कुचलकर कट गया और उसके उपहति कारित हुई?

2-आया प्रार्थी अपनी याचिका में वर्णितानुसार क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने की अधिकारी है, यदि हां तो कितनी राशि व किस कदर ?

3-आया विपक्षी के द्वारा प्रस्तुत जबाव में वर्णितानुसार आपत्तियों के आधार पर विपक्षीगण क्षतिपूर्ति राशि अदायगी के लिए दायित्वाधीन नहीं हैं ?

4–अनुतोष ?

05. प्रार्थी की ओर से याचिका के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में स्वयं को ए.ड.1 विवेक कुमार के रूप में परीक्षित कराया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 लगायत 30 को पेश कर प्रदर्शित कराया। अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से गवाह एन.ए.ड.1 दिग्गज कुमार जोशी को परीक्षित कराया गया और दस्तावेज प्रदर्श एन.ए.1 लगायत 5 को प्रदर्शित कराया।

06. बहस अन्तिम उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रकरण में विरचित प्रत्येक विवाद्यक पर न्यायाधिकरण का निष्कर्ष निम्न प्रकार से है–

विवाद्यक सॅख्या–01 व 03

विवाद्यक सं–1 का सिद्धभार प्रार्थी पर रहा है। उसकी ओर से इस विवाद्यक के संबंध में पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य को अपनी बहस में दोहराते हुए तर्क दिया है कि प्रकरण की पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह विवाद्यक प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। उनका यह भी तर्क रहा है कि घटना की रिपोर्ट देरी से इसलिए हुई कि कई दिनों तक प्रार्थी का इलाज चला था।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण ने आरोपित वाहन से कोई दुघटना नहीं होने और मात्र झूंठा क्लेम लेने के लिए वाहन मालिक से साजकर वाहन को बीमित होने के कारण लिप्त किया जाकर करीब 06 माह देरी से रिपोर्ट पेश करना बताते हुए उक्त विवाद्यक बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध विनिश्चित किए जाने का निवेदन किया।

07. न्यायालय द्वारा इस विवाद्यक के संदर्भ में प्रकरण की पत्रावली पर आई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व इस बिन्दु पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में स्वयं को ए.ड.1 विवेक कुमार के रूप में परीक्षित करवाया गया है। इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में इस विवाद्यक बिन्दु के संबंध में कथन किया है कि दिनांक 17.10.16 को सुबह दस बजे रामदेव अपने ट्रैक्टर नंबर आरजे 25 आरए 2812 को लेकर उनके खेत पर बाजरे की बाल कूटने गया था। रामदेव ने बाजरा कूटने के लिए मशीन लगा दी और थ्रेसर मशीन में बाल डाल दी, जिसके उपर उसका हाथ रखा हुआ था। अचानक रामदेव ने बिना बताए मशीन चालू कर दी, जिससे थ्रेसर मशीन में उसका हाथ चला गया और हाथ कुचल गया। अतरसिंह, करणलाल, हल्कीदेवी ने पकडकर खींचा, जब जाकर मुश्किल से हाथ

निकला। घटना ट्रैक्टर चालक रामदेव की गलती से हुई। उसे सरकारी अस्पताल हिण्डौन से जयपुर रैफर कर दिया, जहां काफी दिनों तक इलाज चला।

प्रतिपरीक्षण के दौरान गवाह यह स्वीकार करता है कि मुकदमा घटना के करीब 7–8 महीने बाद दर्ज कराया था। यह भी स्वीकार करता है कि इतने दिन तक इलाजरत रहने से संबंधित दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। उसने दुर्घटना दिनांक का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। उसके ट्रैक्टर से या टायर से कोई चोट नहीं आई, ट्रैक्टर खडा हुआ था। उसने क्लेम करीब 06 साल बाद पेश किया है। उसके पास कोई निशक्तता प्रमाणपत्र नहीं है। घटना के समय वह नाबालिग था।

इसके अलावा अपने समर्थन में याची की ओर से अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

जबकि बीमा कंपनी की ओर से गवाह दिग्गज कुमार को एन.ए.ड.1 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जो कथन करता है कि वह बीमा कंपनी में विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत है। प्रकरण में आरोप पत्र धारा 287, 337, 338 भा.दं.सं. में पेश किया गया है, जिस कारण याचिका मोटर वाहन अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं है। आहत की स्वयं की लापरवाही से थ्रेसर में हाथ जाने से घटना हुई है। वक्त घटना किसी भी प्रकार से वाहन संचालित नहीं हो रहा था, ना ही पब्लिक प्लेस पर चल रहा था। फौजदारी प्रकरण में चालक को बरी किया गया है। प्रतिपरीक्षण में गवाह कथन करता है कि उसने कोई घटना घटित होते नहीं देखी। थ्रेसर बाबत कोई प्रीमियम नहीं लिया गया है। थ्रेसर ट्रैक्टर का ही पार्ट है।

08. हस्तगत मामले में जहां तक यह प्रश्न है कि प्रस्तुत क्लेम याचिका घटना के 06 माह बाद पेश होने से पोषणीय नहीं है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत क्लेम याचिका को मियाद के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। क्योंकि आहत दुर्घटना के समय 12 वर्षीय था, इसलिए कानूनन वह एक नाबालिग था। लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 6 यह प्रावधान स्पष्ट करती है कि यदि कोई व्यक्ति कानूनी कार्रवाई करने के लिए हकदार है, लेकिन वह नाबालिग है, तो जब तक वह वयस्क (18 वर्ष का) नहीं हो जाता, तब तक उसके खिलाफ मियाद शुरू नहीं होती है। आहत 2016 में 12 वर्ष का था, यानी वह वर्ष 2022 में जाकर वयस्क (18 वर्ष का) हुआ होगा। वयस्क होने के बाद ही उसके लिए लिमिटेशन की गणना शुरू मानी जाएगी।

इसके साथ ही यह सही है कि मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन (2022 का नया नियम) मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 (जो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी हुआ) के तहत धारा 166(3) को दोबारा जोड़ा गया है। इसके अनुसार, अब दुर्घटना के 6 महीने के भीतर ही क्लेम याचिका पेश करनी होती है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "प्रणय सेठी" और हालिया "मंगत राम बनाम ओरियंटल इंश्योरेंस" जैसे विभिन्न मामलों में यह स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2022 से पहले हुए हादसों पर पुराना कानून लागू होता है, जहां क्लेम दाखिल करने की कोई समय सीमा नहीं थी। चूंकि यह दुर्घटना 2016 की है, इसलिए इस पर 2022 का 6 महीने वाला प्रतिबंध पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल के दौरान In Re: Cognizance for Extension of Limitation मामले में 15 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि को मियाद की गणना से पूरी तरह बाहर रखने का आदेश दिया था।

ऐसी स्थिति में हस्तगत मामले में याचिकाकर्ता के नाबालिग होने के कारण उसे लिमिटेशन एक्ट की धारा 6 का संरक्षण प्राप्त है, और दुर्घटना 2022 के संशोधन से पुरानी है। अतः दिनांक 27/01/2023 को पेश की गई यह क्लेम याचिका कानूनन पोषणीय पाई जाती है।

09. हस्तगत मामले में प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का विवाद्यक सं–1 व 3 के संदर्भ में विवेचन किया जाए तो न्यायालय के समक्ष सर्वप्रथम यह अवधार्य बिन्दु है कि आया दुर्घटना में आरोपित वाहन ट्रैक्टर सं–आरजे 25 आरए 2812 की संलिप्तता रही है और उसे वाहन चालक/अप्रार्थी सं–1 द्वारा उपेक्षा व लापरवाही से संचालित कर दुर्घटना कारित की गई, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना में आई चोटों के कारण आहत के शरीर पर गंभीर उपहति कारित हुई?

इस संबंध में देखा जाए तो प्रकरण की उद्गम विषयवस्तु प्रदर्श–1 प्रथम सूचना रिपोर्ट है, जिसमें कथित दुर्घटना दिनांक 17.10.2016 को घटित होना बताई गई है, जबकि इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–1 आहत के पिता द्वारा जरिए इस्तगासा लगभग 06 माह 08 दिन के विलम्ब से दर्ज कराई गई है। सामान्यतः किसी व्यक्ति के साथ गंभीर दुर्घटना घटित होने पर उसके परिजन अथवा स्वयं पीड़ित द्वारा यथाशीघ्र पुलिस को सूचना देकर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कराई जाती है, जिससे घटना के वास्तविक तथ्यों का तत्काल संकलन किया जा सके तथा दुर्घटना में संलिप्त व्यक्ति एवं

वाहन की पहचान सुनिश्चित हो सके। किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में घटना के संबंध में इतनी लंबी अवधि तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराना स्वाभाविक मानवीय आचरण के अनुरूप प्रतीत नहीं होता। याचिकाकर्ता द्वारा विलम्ब का कारण यह बताया गया है कि आहत दुर्घटना के पश्चात उपचाराधीन था, इसलिए रिपोर्ट समय पर दर्ज नहीं कराई जा सकी। तथापि उक्त स्पष्टीकरण अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से पुष्ट नहीं होता है। अभिलेख पर उपलब्ध डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श सी–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आहत को घटना के दिन उपचारार्थ भर्ती कराया गया तथा वह दिनांक 24.10.2016 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अर्थात् घटना के लगभग सात दिन पश्चात ही उसे अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी थी। याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो कि डिस्चार्ज होने के पश्चात भी वह निरन्तर अस्पताल में भर्ती रहा अथवा उसकी शारीरिक स्थिति ऐसी थी कि वह स्वयं अथवा उसके परिजन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने में असमर्थ थे। न तो किसी चिकित्सक का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, न ही किसी प्रकार के अनुवर्ती उपचार के दस्तावेज अभिलेख पर लाए गए हैं, जिससे यह स्थापित हो सके कि सम्पूर्ण विलम्ब अवधि के दौरान आहत की स्थिति रिपोर्ट दर्ज कराने योग्य नहीं थी। स्वयं ए.ड.1 विवेक कुमार ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि इतने लंबे समय तक उपचाररत रहने संबंधी कोई दस्तावेज उसने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए हैं। अतः उपचाराधीन रहने का कारण मात्र मौखिक कथन तक सीमित रह जाता है, जिसका कोई स्वतंत्र समर्थन अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि यदि वास्तव में दुर्घटना आरोपित ट्रैक्टर संख्या आरजे 25 आरए 2812 से घटित हुई होती तथा दुर्घटना में आहत का हाथ गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होकर कट गया होता, तो ऐसी गंभीर घटना के संबंध में आहत के परिजन अथवा अन्य उपस्थित व्यक्तियों द्वारा तत्काल अथवा उचित समय के भीतर पुलिस को सूचना दिए जाने की अपेक्षा की जाती है। याचिकाकर्ता के अनुसार घटना के समय अतरसिंह, करणलाल एवं हल्कीदेवी सहित अन्य व्यक्ति भी मौके पर उपस्थित थे, जिन्होंने आहत को बचाया था। उनको भी अपने समर्थन में अधिकरण के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है और ना ही वाहन का नंबर रिपोर्ट में अंकित किया गया है। आहत की ओर से यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि उक्त उपस्थित व्यक्तियों द्वारा इतने लंबे समय तक कोई कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गई। इस संबंध में भी कोई संतोषजनक

स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। दुर्घटना के लगभग छह माह पश्चात दर्ज कराई गई रिपोर्ट के कारण जांच एजेंसी को घटना स्थल का तत्काल निरीक्षण करने, घटना की परिस्थितियों का सत्यापन करने, स्वतंत्र साक्ष्य एकत्रित करने तथा वाहन की वास्तविक संलिप्तता की पुष्टि करने का अवसर नहीं मिल पाया। अत्यधिक विलम्ब से दर्ज की गई रिपोर्ट के कारण स्वाभाविक रूप से घटना की सत्यता एवं आरोपित वाहन की संलिप्तता के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है। यद्यपि केवल विलम्ब के आधार पर किसी दावे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, किन्तु जब विलम्ब असाधारण रूप से लंबा हो तथा उसका कोई विश्वसनीय, प्रमाणित एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण उपलब्ध न हो, तब ऐसे विलम्ब को एक महत्वपूर्ण परिस्थिति के रूप में अवश्य देखा जाना आवश्यक होता है। प्रस्तुत मामले में न केवल रिपोर्ट अत्यधिक विलम्ब से दर्ज कराई गई है, बल्कि उक्त विलम्ब का समर्थन करने हेतु कोई ठोस चिकित्सीय अथवा स्वतंत्र साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप यह अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि याचिकाकर्ता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए लगभग 06 माह 08 दिन के विलम्ब का संतोषजनक एवं विश्वसनीय स्पष्टीकरण देने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त विलम्ब याचिकाकर्ता के कथन की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है तथा आरोपित वाहन की संलिप्तता एवं दुर्घटना के वास्तविक स्वरूप के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न करता है, जिसका लाभ अप्रार्थीगण को प्राप्त होना स्वाभाविक है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभिलेख पर उपलब्ध आरोप पत्र, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के समग्र अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा घटना के संबंध में धारा 279 भा.दं.सं. के अपराध को प्रमाणित नहीं माना गया तथा चालक के विरुद्ध केवल धारा 287, 337 एवं 338 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। धारा 279 भा.दं.सं. का संबंध किसी वाहन को सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन अथवा लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकट में डालने से है, जबकि धारा 287 भा.दं.सं. मशीनरी के उपयोग अथवा संचालन में लापरवाही से संबंधित अपराध का प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि घटना खेत में बाजरे की बालों को कूटने के कार्य के दौरान थ्रेसर मशीन के संचालन से घटित हुई थी तथा दुर्घटना के समय वाहन सार्वजनिक मार्ग पर संचालित नहीं हो रहा था। यही कारण है कि अनुसंधान अधिकारी ने

वाहन के लापरवाहीपूर्ण संचालन से दुर्घटना कारित होना प्रमाणित नहीं मानते हुए धारा 279 भा.दं.सं. का आरोप नहीं लगाया।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 165 के अनुसार केवल वही दावे अधिकरण के समक्ष विचारणीय हैं, जिनमें मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति "मोटर वाहन के उपयोग" से उत्पन्न हुई हो। यद्यपि "मोटर वाहन के उपयोग" शब्दों की न्यायालयों द्वारा व्यापक व्याख्या की गई है, तथापि प्रत्येक ऐसी घटना जिसमें किसी वाहन का मात्र अस्तित्व या उपस्थिति हो, उसे स्वतः मोटर दुर्घटना नहीं माना जा सकता। यह भी आवश्यक है कि दुर्घटना एवं मोटर वाहन के उपयोग के मध्य प्रत्यक्ष एवं पर्याप्त संबंध स्थापित हो।

यद्यपि सामान्यतः ट्रैक्टर से जुड़ा थ्रेसर मोटर वाहन के उपयोग का हिस्सा माना जा सकता है, किन्तु हस्तगत मामले में दुर्घटना का प्रत्यक्ष कारण ट्रैक्टर का संचालन नहीं बल्कि थ्रेसर मशीन में हाथ चले जाना है। ऐसी स्थिति में इस अधिकरण के मत में ट्रैक्टर मात्र स्थिर अवस्था में शक्ति स्रोत के रूप में खड़ा था और दुर्घटना का वास्तविक कारण मशीनरी का संचालन था, तो घटना को मोटर वाहन दुर्घटना नहीं माना जा सकता। प्रस्तुत मामले में स्वयं याचिकाकर्ता के कथनानुसार उसका हाथ ट्रैक्टर के किसी भाग, टायर अथवा वाहन की गति के कारण नहीं बल्कि थ्रेसर मशीन में चला गया था। प्रतिपरीक्षण में भी याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि उसे ट्रैक्टर से अथवा ट्रैक्टर के टायर से कोई चोट नहीं आई तथा दुर्घटना के समय ट्रैक्टर खड़ा हुआ था। घटना का मूल कारण थ्रेसर मशीन में हाथ चले जाना बताया गया है। अर्थात् चोट वाहन के परिवहन संबंधी उपयोग अथवा वाहन के संचालन के कारण नहीं बल्कि कृषि कार्य में प्रयुक्त मशीनरी के संचालन के दौरान कारित होना परिलक्षित होता है। ऐसे में दुर्घटना का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण थ्रेसर मशीन का संचालन है, न कि मोटर वाहन का उपयोग अपने पारंपरिक अथवा परिवहन संबंधी स्वरूप में। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा धारा 279 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं मानकर केवल धारा 287, 337 एवं 338 भा.दं.सं. में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिससे यह निष्कर्ष और अधिक सुदृढ़ होता है कि घटना का कारण वाहन को सड़क अथवा अन्य स्थान पर लापरवाहीपूर्वक चलाना नहीं था, बल्कि मशीनरी के उपयोग में कथित उपेक्षा थी। ऐसी स्थिति में दुर्घटना और मोटर वाहन के उपयोग के मध्य वह आवश्यक एवं प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं हो पाता, जो मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दावा बनाए रखने के लिए अपेक्षित है।

अतः प्रकरण की समस्त परिस्थितियों, आरोप पत्र की प्रकृति, याचिकाकर्ता के स्वयं के कथनों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में यह अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रस्तुत घटना मुख्यतः थ्रेसर मशीन के संचालन से संबंधित है, न कि मोटर वाहन के लापरवाहीपूर्ण उपयोग अथवा संचालन से उत्पन्न मोटर दुर्घटना। फलस्वरूप प्रस्तुत दावा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष विचारणीय होने के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न करता है तथा याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में असफल रहा है कि उसकी चोटें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 165 के अर्थों में मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न हुई थीं।

यह भी उल्लेखनीय है कि मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में यद्यपि तथ्य संदेह से परे सिद्ध किया जाना आवश्यक नहीं होता, तथापि याचिकाकर्ता को अपने दावे को संभावना की प्रधानता के आधार पर अवश्य सिद्ध करना होता है। प्रस्तुत प्रकरण में घटना की रिपोर्ट लगभग 06 माह 08 दिन के विलम्ब से दर्ज कराई गई, उक्त विलम्ब का कोई संतोषजनक एवं दस्तावेजी स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को परीक्षित नहीं कराया गया तथा स्वयं आरोप पत्र भी धारा 279 भा.दं.सं. में प्रस्तुत न होकर केवल धारा 287, 337 एवं 338 भा.दं.सं. में प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध साक्ष्य से दुर्घटना एवं मोटर वाहन के उपयोग के मध्य आवश्यक प्रत्यक्ष संबंध भी स्थापित नहीं हो सका है। ऐसी परिस्थितियों में समस्त साक्ष्यों का समग्र मूल्यांकन करने पर याचिकाकर्ता का कथन संभावना की प्रधानता के मानदण्ड पर भी अधिक विश्वसनीय एवं स्वीकार्य प्रतीत नहीं होता तथा उसके द्वारा प्रस्तुत घटनाक्रम की अपेक्षा अप्रार्थीगण की आपत्तियां अधिक संभाव्य एवं स्वाभाविक प्रतीत होती हैं। अतः याचिकाकर्ता अपने दावे को संभावना की प्रधानता के आधार पर भी सिद्ध करने में असफल रहा है।

इस प्रकार प्रार्थी पक्ष विवाद्यक सं–1 को अपने पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहा है, जबकि अप्रार्थी सं–2, विवाद्यक सं–3 को अपने पक्ष में प्रमाणित करने सफल रहा है। अतः उक्त विवेचन–विश्लेषण के अनुसार विवाद्यक सं–1 प्रार्थी पक्ष के विरूद्ध एवं विवाद्यक सं–3, अप्रार्थी सं–2 के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

10. **<u>विवाद्यक संख्या–02</u>** चूंकि विवाद्यक सं–1 प्रार्थी पक्ष के विरूद्ध व विवाद्यक सं–3, अप्रार्थी सं–2 के पक्ष में निर्णीत किया गया है। ऐसी स्थिति में इस विवाद्यक पर इस स्तर पर विवेचन किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है तथा

उक्त दुर्घटना के लिए अप्रार्थीगण किसी भी रूप से उत्तरदायी होना नहीं पाए जाते हैं और ना ही प्रार्थीगण किसी तरह की कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी पाई जाती हैं। अतः यह विवाद्यक भी प्रार्थीगण के विरूद्ध ही निर्णीत किया जाता है।

11. अनुतोष– प्रार्थी/आहत को अपनी याचिका में सबसे महत्वपूर्ण विवाद्यक सं–1 को अपने पक्ष में साबित करना था, किन्तु प्रार्थी/आहत इस महत्वपूर्ण विवाद्यक को अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहा हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/आहत, अप्रार्थीगण से किसी तरह की कोई क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं पाया जाता हैं। अतः प्रार्थी/आहत की ओर से प्रस्तुत यह क्लेम याचिका विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्वीकार कर खारिज किए जाने योग्य पाई जाती है।

आदेश

12. परिणामस्वरूप प्रार्थी/आहत विवेक कुमार की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत यह क्लेम याचिका अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम,1988 अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

(**सुमरथ लाल मीना**)

13. निर्णय व आदेश आज दिनांक 05.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर, सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित कर मुद्रांकित किया गया।

(**सुमरथ लाल मीना**)